आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख

राजस्व विविध वाद सं0– 09 /2020–21
मोहम्मद देवान बनाम समीम अख्तर
–: आदेश :–

यह अपील वाद अपीलार्थी मोहम्मद देवान, पिता– स्व0 मासेद देवान, सा0–बाँकुड़ा, थाना–महेशपुर, जिला–पाकुड़ के द्वारा अंचल अधिकारी, महेशपुर के न्यायालय के M.C. N0–455/2015–16 में दिनांक–10.02.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध समीम अख्तर, पिता–गुलाम रूसुल, सा0–बाँकुड़ा, थाना–महेशपुर, जिला–पाकुड़ को पक्षकार बनाते हुए मौजा– बाँकुड़ा थाना नं0–311, जमाबंदी नं0–73 अन्तर्गत दाग सं0–604 रकवा– 00बी0–07क0–00धुर भूमि जो पंजी–।। में समीम अख्तर के नाम से गलत ढंग से दर्ज है से समीम अख्तर का दर्ज नाम को हटाने के संबंध में राजस्व विविध वाद अपील किया है।

मामला संक्षेप में यह है कि मौजा– बाँकुड़ा थाना नं0–311, जमाबंदी नं0–73 अन्तर्गत दाग सं0–604 रकवा– 00बी0–07क0–05धुर भूमि विगत सर्वे खतियान–सह– राजस्व पंजी–।। के भाग संख्या–1 पृष्ठ संख्या–134 में मियाजान देवान पिता– अली देवान के नाम से दर्ज है। विपक्षी समीम अख्तर, पिता– गुलाम रूसुल सा0– बाँकुड़ा के नाम उक्त मौजा– बाँकुड़ा, जमाबंदी नं0–73 अन्तर्गत दाग सं0–604 में रकवा– 00बी0–01क0–10धूर जमीन अंचल कार्यालय महेशपुर में दाखिल खारिज वाद संख्या–455/2015–16 दिनांक– 10.02.2016 को पारित आदेश के द्वारा पंजी में दर्ज है।

अपीलकर्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि खतियान में मियाजान देवान, पिता– अली देवान (आवेदक) के नाम से दर्ज है तथा मियाजान देवान द्वारा प्रश्नगत भूमि विक्रय नहीं किया गया है। विपक्षी का विक्रय केवाला का दाग नं0–407 से संबंधित है। अतः विपक्षी का नाम पंजी–।। में दाग नं0–604 के रकवा–00बी0–01क0–10धूर का दाखिल खारिज वाद सं0–455/15–16 द्वारा पंजी–।। में दर्ज प्रविष्टि को रद्द करने का अनुरोध किया जाय।

उत्तरवादी समीम अख्तर, पिता– गुलाम रूसुल सा0– बाँकुड़ा को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है परन्तु उनके द्वारा न तो स्वंय और न ही अपने अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित

होकर कोई पैरवी की गई। फलतः एक पक्षीय सुनवाई कर आदेश पर रखा गया।

अपीलकर्ता का कहना है कि (1) मौजा– बाँकुड़ा थाना नं0–311 जमाबंदी नं0–73 अन्तर्गत दाग सं0–604 रकवा– 00बी0–07क0–00धुर भूमि खतियान में मियाजान देवान (खतियानी रैयत) जो अपीलकर्ता के दादा हैं के नाम से दर्ज है।

(2) विपक्षी को नोटिश के उपरान्त विपक्षी न्यायालय में उपस्थित होकर अनापत्ति आवेदन के माध्यम से जमाबंदी नं0–73 दाग नं0–604 रकवा–00बी0–07क0–00धूर पंजी–।। में गलत ढंग से प्रविष्टि की गई है की स्वीकारोक्ति दियें हैं।

(3) विपक्षी समीम अख्तर के नाम प्रश्नगत भूमि दाखिल खारिज वाद सं0–455/2015–16 द्वारा किस प्रकार दर्ज की गई जबकि विपक्षी समीम अख्तर के नाम निष्पादित निबंधित केवाला जमाबंदी नं0– 73 दाग नं0–604 रकवा–00बी0–07क0–00धूर एवं अन्य दाग की भूमि के लिए ली है।

(4) विपक्षी के द्वारा पंजी–।। में दाग नं0–604 रकवा–00बी0–07क0–00धूर से संबंधित विपक्षी का प्रविष्ट नाम को हटाने के लिए अनापति आवेदन समर्पित किया गया है।

(5) वस्तुतः विपक्षी के द्वारा जमाबंदी नं0–119 दाग नं0–607 रकवा–00बी0–10क0–18धूर गलत चौहदी जो दाग नं0–604 का रकवा–00बी0–07क0–00धूर का है क्रय किया गया है जिसे विपक्षी के हार स्वीकार करते हुए अनापत्ति आवेदन दिया गया है।

(6) खतियानी रैयत मियाजान देवान द्वारा जमाबंदी नं0–73 दाग नं0–604 रकवा–00बी0–07क0–00धूर का विक्रय किसी अन्य को नहीं किया गया है।

(7) एक अनाधिकृत व्यक्ति आजाद मण्डल द्वारा गलत ढंग से प्रश्नगत भूमि को दर्शाकर बिक्रय किया है एवं इस संबंध में पंजी–।। में दाग नं0–604 रकवा–00बी0–07क0–00धूर भूमि से विपक्षी समीम अख्तर के नाम को हटाने एवं संशोधित करने में दिनांक–17.12.2021 को लिखित अभिमत/सहमति दी गई है।

(8) पंजी–।। में प्रश्नगत भूमि की प्रविष्टि विपक्षी के नाम किये जाने को हटाना अत्यावश्यक है अतः दाग नं0–604 जमाबंदी नं0–73 मौजा बाँकुड़ा नं0–311 जिसका कुल रकवा एवं चौहदी गलत दर्शाकर पंजी–।। में दर्ज किया गया है को पंजी–।। में की गई प्रविष्टि को रद्द किया जाय। विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपीलकर्ता के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दिये गये लिखित अभिकथन का दिनांक–09.02.2022 को अवलोकन किया गया एवं किसी प्रकार की आपति नहीं दी गई है जो अभिलेखबद्ध है।

अंचल अधिकारी, महेशपुर के पत्रांक–783 दिनांक– 09.12.2021 द्वारा प्रतिवेदित है कि राजस्व उप–निरीक्षक/ अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–बांकुड़ा जमाबंदी नं0–73 दाग नं0–604 रकवा–00बी0–07क0–00धूर भूमि विगत सर्वे खतियान –सह– राजस्व पंजी–।। के भाग सं0–1 पृष्ठ संख्या–134 में मियाजन देवान पिता अली देवान के नाम से दर्ज है एवं इसी वर्णित भूमि के अंश रकवा–00बी–01क0–10धूर भूमि दाखिल– खारिज वाद सं0–455/2015–16 के माध्यम से स्वीकृत्योपरान्त भाग सं0–04 पृष्ठ सं0–66 में विपक्षी समीम अख्तर के नाम से दर्ज है।

अपीलकर्ता के विज्ञ अधिवक्ता का लिखित अभिकथन एव विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा उक्त लिखित अभिकथन पर किये गये अनापति हस्ताक्षर द्वारा दी गई स्वीकृति तथा विपक्षी समीम अख्तर के लिखित अभिमत/सहमति आवेदन के आधार पर अंचल अधिकारी, महेशपुर के दाखिल खारिज वाद सं0–455/2015–16 के माध्यम से विपक्षी समीम अख्तर के नाम से मौजा–बाँकुड़ा के दाग नं0–73 रकवा–00बी0–01क0–10धूर भूमि पंजी में की गई प्रविष्टि को रद्द (हटाने) का आदेश दिया जाता है। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को अवलोकन करा दें।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता,
पाकुड़।

भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता,
पाकुड़।

Digitally signed by RABINDRA CHOUDHARY
Date: 2022.03.04 16:12:46 +05:30
Location: 192.168.1.1